न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2022

प्रार्थीगण :–

1. नरपतसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
2. बहादुरसिंह पुत्र कुन्दनसिंह
3. योगेन्द्रसिंह पुत्र गुलाबसिंह
4. सौभाग्यकंवर पत्नि गुलाबसिंह
5. अश्लेश्वरकंवर पुत्री गुलाबसिंह
   सभी जातियान राजपूत निवासी
   सिलारी तहसील पीपाड़ शहर
   जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. छोगाराम पुत्र लादुराम
2. भंवरलाल पुत्र लादुराम
3. कमली पुत्री लादुराम
4. मीरा पत्नि लादुराम
5. कानाराम पुत्र लाबूराम
6. बुधाराम पुत्र लाबूराम
7. मदनलाल पुत्र लाबूराम
8. गेरकी पत्नि धीराराम
9. धापुडी पुत्री धीराराम
10. धोकलराम पुत्र धीराराम
11. विमला पुत्री धीराराम
12. समू पुत्री धीराराम
13. सोहनलाल पुत्र धीराराम
    सभी जातियान जाट निवासी
    सिलारी तहसील पीपाड़ शहर
    जिला जोधपुर
14. राज्य सरकार जरिये
    तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला
    जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री अब्दुल सलीम खान प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 31.03.2022

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 के म किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हैः– ग्राम सिलारी पटवार हल्का सिलारी भू अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र चिरढाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे प्रार्थीगण की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खाता संख्या नया 195 व खाता संख्या पुराना 74 खसरा संख्या 209/1 रकबा 5.5740 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहे है प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्रार्थीगण अपना जीवन यापन करते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 तक की कृषि भूमि ग्राम सिलारी मे खसरा संख्या 208/1, 208, 207 व 206 की प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 209/1 व 209/2 की उतरी माठ के सहारे सहारे

प्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक कदमी रास्ते पर चले आ रहे है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 तक की कृषि भूमि खसरा संख्या 208/1, 208, 207 व 206 उतरी माठ के सहारे सहारे माठ के चिपते हुए आये हुए है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर पडोसियान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 तक की बुरी नजर हमेशा बनी रहती है येन केन प्रकरण हर वर्ष प्रार्थीगण की खेत की मेड को कृषि करते वक्त खुर्द बुर्द आस पडोस वाले खातेदारान कर देते है तथा भविष्य मे भी प्रार्थीगण के उपरोक्त कृषि भूमि की मेड माठो को पूर्णत्या नष्ट कर देने की धमकिया उपरोक्त आस पडोस के खातेदारान देकर प्रार्थीगण के खेत की ओर हमेशा अंगुलिया से इशारा कर बताते है कि यहा तक हमारा खेत है या वहा तक हमारा खेत है इत्यादी कहकर प्रार्थीगण को धमकिया देते रहते है प्रार्थीगण किसी प्रकार के विवाद मे पडना नही चाहते है लेकिन अपनी खेत की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए खेत की सुरक्षात सभी उपाय करने चाहते है तथा अपने खेत की सुरक्षा करने के अधिकार प्रार्थीगण को खातेदार की हैसियत से कानूनन प्राप्त है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वर्णित वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार/तारबंदी करवाना चाहते है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 209/1 व 209/2 का नाप चोक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी है।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2022 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगणो के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित, उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 31.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है ग्राम सिलारी में स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 209/1 रकबा 5.5740 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 209/2 रकबा 5.5659 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम की भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमाने का निवदेन किया है ।

हमने पत्रावली का आद्योपरान्त अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नाप चौप व सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है । हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

31/3/22

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त एतदद्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सिलारी के खसरा नम्बर 209/1 रकबा 5.5740 हैक्टयर व खसरा नम्बर 209/2 रकबा 5.5659 भूमि का राजस्व टीम गठित कर सीमा चिन्ह कायम कर कर रूबरू पक्षकारान के मुटाम स्थापित करते हुए पत्थरगढ़ी करावें । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकोष जमा करायेगे । इस आशय की तहरीर जारी हो बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें । आवश्यकतानुसार पुलिस जाब्ता थानाधिकारी पीपाड़ शहर से प्राप्त करें ।

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 31.03.2022 सुनाया गया ।

(दूदाराम)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर